न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 75 / रा.मू.अधि. / 01 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट

आम जनता ग्राम पंचायत अरटवाव
तहसील गुड़ामालानी जरिये

1. हीराराम पुत्र मांगाराम जाति जाट हाल वार्ड पंच वार्ड संख्या 05 ग्राम पंचायत अरटवाव
2. आसूराम पुत्र हेमाराम जाति देवासी हाल वार्ड पंच वार्ड संख्या 04 ग्राम पंचायत अरटवाव
3. रूपादेवी पत्नी करनाराम जाति विश्नोई हाल वार्ड पंच वार्ड संख्या 03 ग्राम पंचायत अरटवाव
4. हीराराम पुत्र हरचंदराम
5. मलाराम पुत्र पदमाराम
6. राऊराम पुत्र रूपाराम
7. खेताराम पुत्र मूलाराम
8. वगताराम पुत्र मालाराम
9. वावूलाल पुत्र छोगाराम
10. अर्जुनराम पुत्र हरकेनराम
11. हराराम पुत्र भारथाराम
12. तेजाराम पुत्र कुम्भाराम
13. मांगाराम पुत्र भभूताराम
14. सरदाराराम पुत्र रामजीराम
15. हरलाल पुत्र उमाराम
16. मदाराम पुत्र हिरकनराम
17. राहिगाराम पुत्र सरदाराराम
18. नरसीराम पुत्र प्रभुराम
19. मालाराम पुत्र हेमाराम
20. रावताराम पुत्र अर्जुनराम
21. अर्जनराम पुत्र हेमाराम
22. जीयाराम पुत्र लालाराम
23. कालूराम पुत्र काछवाराम
24. रामलाल पुत्र धुड़ाराम
25. हनुमानराम पुत्र करनाराम
26. अचलाराम पुत्र नवलाराम
27. हुकमाराम पुत्र धन्नाराम
28. करनाराम पुत्र रिड़मलराम
29. भैराराम पुत्र छोगाराम
30. भंवरलाल पुत्र हराराम

रेस्पोंडेंटगण

बनाम 1.उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
2.तहसीलदार, गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
3.सरपंच, ग्राम पंचायत अरटवाव तहसील गुड़ामालानी

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

31. जयकिशन पुत्र जावताराम
32. मोबताराम पुत्र किस्तुराराम निवासीयान
ग्राम पंचायत अरटवाव तहसील गुड़ामालानी
जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी ने खसरा संख्या 395 में रकबा 02.05 बीघा भूमि ग्राम पंचायत अरटवाव के कार्यालय भवन निर्माण हेतु आवंटित आदेश दिनांक 07.01.2021 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री बाबुलाल विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री हरिराम चौधरी राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 से 02 की ओर से।
3. वकील श्री वांकाराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 03 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 24.03.2021

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2020 में मूल ग्राम पंचायत सिंधासवा हरनियान से नवसृजित ग्राम पंचायत अरटवाव का गठन किया गया था तथा नवसृजित ग्राम पंचायत अरटवाव का अस्थायी मुख्यालय वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय माला सुथार की ढाणी में संचालित किया जा रहा है। नवसृजित ग्राम पंचायत अरटवाव के भवन व परिसर निर्माण हेतु ग्राम पंचायत के मध्य में स्थित खसरा संख्या 500 रकबा 196.19 बीघा के खातेदार हीरा, राजा, केसा पिसरान चुतरा के द्वारा भूमि ग्राम पंचायत के भवन व परिसर निर्माण हेतु निःशुल्क आंवटन करने हेतु तत्पर है तथा उक्त भूमि ग्राम पंचायत के मध्य में सरकारी स्कूल के पास ही स्थित है तथा आने जाने हेतु पर्याप्त रास्ते की सुविधा उपलब्ध है तथा पास ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भी बना हुआ है तथा उक्त भूमि ग्राम पंचायत के भवन व परिसर निर्माण हेतु पूर्णतया उपयुक्त भूमि है। ग्राम पंचायत अरटवाव के वर्तमान सरपंच द्वारा अपने निजी लाभ के लिये व अपने हित सुख के लिये ग्राम पंचायत का मुख्यालय खसरा संख्या 500 जो ग्राम पंचायत अरटवाव का ह्रदय स्थल है पर न रखकर वहुत दूर ग्राम पंचायत के एक कोने पर खसरा संख्या 395 में से 02.05 बीघा भूमि समर्पित करवाकर ग्राम पंचायत अरटवाव के भवन व परिसर निर्माण हेतु अधीनस्थ न्यायालय से बाले–वाले अपीलाधीन आदेश पारित करवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। उक्त आवंटन विधि विरूद्ध तरीके से राजनैतिक दबाव बनाकर जारी करवाया गया है। अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित नहीं किया गया। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये सम्मन तलव किए गए एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। चारों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपीलांट की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांटगण की तरफ से प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 18 नियम 18 व 151 सी पी सी वास्ते तथ्यात्मक निरीक्षण रिपोर्ट तलब की जाने बाबत पेश कर निवेदन किया गया कि उपरोक्त प्रकरण में आम जनता से जुड़ा हुआ प्रकरण है इसलिए उक्त प्रकरण का न्यायालय द्वारा निरीक्षण कर तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाया जाना न्यायोचित है जिससे न्याय करने में सहायता होगी। राज्य सरकार ने वर्ष 2020 में मूल ग्राम पंचायत सिंधासवा हरनियान से नवसृजित ग्राम पंचायत अरटवाव का गठन किया गया था तथा नवसृजित ग्राम पंचायत अरटवाव का अस्थायी मुख्यालय वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय माला सुथार की ढाणी में संचालित किया जा रहा है। नवसृजित ग्राम पंचायत अरटवाव के भवन व परिसर निर्माण हेतु ग्राम पंचायत के मध्य में स्थित खसरा संख्या 500 रकबा 196.19 बीघा के खातेदार हीरा, राजा, केसा पिसरान चुतरा के द्वारा भूमि ग्राम पंचायत के भवन व परिसर निर्माण हेतु निःशुल्क आंवटन करने हेतु तत्पर है तथा उक्त भूमि ग्राम पंचायत के मध्य में सरकारी स्कूल के पास ही स्थित है तथा आने जाने हेतु पर्याप्त रास्ते की सुविधा उपलब्ध है तथा पास ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भी बना हुआ है तथा उक्त भूमि ग्राम पंचायत के भवन व परिसर निर्माण हेतु पूर्णतया उपयुक्त भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आवंटन आदेश पारित करते वक्त आम जनता के हितों को अनदेखा किया गया। अपीलाधीन आवंटन आदेश वर्तमान सरपंच ने मात्र अपने निजी फायदे के लिये आंवटित करवायी है। अपीलाधीन आदेश उतरदाता संख्या 03 के दबाव में झूठी कार्यवाही जल्दबाजी में कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.01.2021 को जारी करवाया गया है। अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए बताया कि ग्राम अरटवाव के खसरा संख्या 395 रकबा 02.05 बीघा बा.दो. राज. भू. राजस्व (लोकोपयोगी भवनों के निर्माण हेतु भूमि आवंटन) नियम 1963 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अरटवाव को राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राज. जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.6(25)राज–6/2014/56 दिनांक 19.07.2018 के तहत कार्यालय भवन निर्माण हेतु आवंटन की गई है जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान में समस्त लोकोपयोगी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आवंटन आदेश की भूमि को लेकर किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। उक्त आवंटित भूमि पर किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश नहीं हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलाधीन आवंटन आदेश विधि द्वारा प्रस्थापित प्रक्रिया के अनुसार जारी किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2020 में मूल ग्राम पंचायत सिंधासवा हरनियान से नवसृजित ग्राम पंचायत अरटवाव का गठन किया गया था। पंचायत पुनर्गठन की प्रक्रिया को कहीं चुनौती नहीं दी। अस्थायी तौर ग्राम पंचायत भवन का संचालन आवंटित भूमि के पास ही हो रहा है। अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 07.01.2021 को नियम 1963 के तहत जारी किया गया जिसको कहीं पर चुनौती नहीं दी गई। पंचायती राज अधिनियम 92 के तहत पंचायत प्रस्ताव को कहीं पर चुनौती/विरोध नहीं किया गया। अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे। अपीलांटगण द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत 96 सी पी सी पेश किया गया है। लेकिन अपीलांटगण अपीलाधीन आदेश में हस्तगत प्रकरण में हितबद्ध एवं पिड़ित पक्षकार नहीं होने से अपीलांटगण अपील पेश करने के अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आवंटन आदेश पारित किया गया है उक्त भूमि समस्त सार्वजनिक सुविधाओं से युक्त हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान में समस्त लोकोपयोगी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलाधीन आवंटन विधि सम्मत प्रक्रिया को अपनाते हुए जारी किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अपीलाधीन आवंटन आदेश को यथावत रखा जावे।

पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस सुनने एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 07.01.2021 को जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए समस्त जन उपयोगी सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए अपीलाधीन आंवटन आदेश पारित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा क्रमांक 365 दिनांक 08.02.2021 का अवलोकन करने पर पाया कि नवसृजित पंचायत अरटवाव अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.01.2021 को ग्राम पंचायत भवन एवं परिसर निर्माण हेतु आवंटित भूमि ग्राम पंचायत की परिसीमा के मध्य में स्थित है। इसलिए न्यायालय हाजा अपीलांटगण की तरफ से पेश प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 18 नियम 18 व 151 सी पी सी वास्ते तथ्यात्मक निरीक्षण रिपोर्ट तलब की जाने बाबत में तथ्यात्मक निरीक्षण रिपोर्ट मंगवाने का कोई औचित्य नहीं समझता है। तहसीलदार गुड़ामालानी स्वयं के द्वारा अपीलाधीन आराजी को ग्राम पंचायत अरटवाव को आवंटित करने हेतु जरिये पत्रांक राजस्व/2021/22 दिनांक 06.01.2021 के द्वारा मौजा अरटवाव के खसरा संख्या 395 रकबा 02.05 बीघा भूमि बा.दो. को ग्राम पंचायत अरटवाव के भवन एवं परिसर निर्माण हेतु नियमों के परिपेक्ष्य में आवंटन करने की अनुशंषा की गई है। राज. भू. राजस्व (लोकोपयोगी भवनों के

राजस्व अपील प्राधिकारी

निर्माण हेतु भूमि आवंटन) नियम 1963 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अरटवाव को राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राज. जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.6(25)राज–6/2014/56 दिनांक 19.07.2018 के तहत कार्यालय भवन निर्माण हेतु आवंटन की गई है जो विधि सम्मत है। हस्तगत अपील में दिनांक 10.02.2021 को स्थगन आदेश प्राप्त करने के बाद दूसरे पक्ष को सुने बिना मामले को अपीलांटगण द्वारा लंबा खिचना विधि द्वारा स्थापित सिद्धांत एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। वक्त आवंटन के समय उचित विकल्प को ध्यान में रखते हुए आवंटन आदेश जारी किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। जिला प्रशासन आवंटन आदेश जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यदि अन्य स्थान पर आवंटन करता है तो सक्षम है। उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी ने खसरा संख्या 395 में रकबा 02.05 बीघा भूमि ग्राम पंचायत अरटवाव के कार्यालय भवन निर्माण हेतु आवंटित आदेश दिनांक 07.01.2021 को यथावत रखा जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 24.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर